शब्दावली

डी डी अधिनियम	समय–समय पर संशोधित दिल्ली विकास अधिनियम 1957
विकास क्षेत्र	डी डी अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (I) के अंतर्गत विकास क्षेत्र घोषित किया गया कोई क्षेत्र
एफ ए आर	तल क्षेत्र अनुपात अर्थात वह अनुपात जो कि भवन में घिरी हुई कुल जगह भूखंड के क्षेत्र जिस पर वह निर्मित है का वहन करता है।
भूमि आवंटन सलाहकार समिति	दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निस्तारण) नियम, 1981 के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित की गई समिति
ले आउट योजना	एक योजना के कार्यान्वयन अथवा किन्हीं अन्य विकास गतिविधियों हेतु भूमि के किसी टुकड़े के योजनाबद्ध उपयोग के लिए तैयार की गई ले आउट योजना
पट्टा	अंचल संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है जो निश्चित समय के लिए किया गया है, अभिव्यक्त या अंतनिर्हित है अथवा निरंतरता में है, चुकायी गई कीमत को ध्यान में रखते हुए है विशिष्ट अवसरों पर हस्तांतरी द्वारा हस्तांतरणकर्त्ता को जो ऐसी शर्तों के ऐसे हस्तांतरण को स्वीकार करता है को आवधिक रूप से प्रस्तुत किये जाने के लिए वचनबद्ध है।
पट्टाधारी	हस्तांतरी को पट्टाधारी कहते हैं
मास्टर प्लान	शहर के स्थायी योजनाबद्ध विकास के मार्गदर्शन के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना। यह दस्तावेज योजना अवधि के दौरान शहर की जनसंख्या को सहायता देने के लिए विभिन्न सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों हेतु योजना दिशानिर्देशों नीतियों, विकासवादी कोड तथा जगह की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। यह सभी आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकताओं का आधार भी है।
नजूल भूमि	केन्द्र सरकार में निहित भूमि तथा डी डी अधिनियम की धारा 22 की धारा (I) या अन्यथा के अंतर्गत प्राधिकरण के निस्तारण में रखी गई भूमि।
नजूल नियम	डी डी ए (विकसित नजूल भूमि का निस्तारण) नियम, 1981
नजूल–I भूमि	पूर्व के दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से डी डी ए को हस्तांतरित की गई 24 नजूल संपदाएँ जिन्हें मार्च 1937 के 'नजूल समझौते' के माध्यम से 1 अप्रैल 1937 को दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के निस्तारण हेतु जी ओ आई द्वारा रखा गया था
नजूल–II भूमि	भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एल ए अधिनियम), 1894 के प्रावधान के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि
पूर्व–निर्धारित दरें	प्रीमियम की दरें जैसा कि नजूल नियम के नियम 2 (I) में परिभाषित हैं
परिसर	कोई भूमि या कोई भवन जिसमें जमीन में लगाए गए बगीचे, कोई वस्तुएँ इत्यादि समाविष्ट हों

स्थल योजना	भूमि के टुकड़े पर संरचनाओं, पार्किंग क्षेत्रों, खुले स्थान, भूदृश्य निर्माण तथा अन्य विकासवादी विशेषताओं की प्रस्तावित व्यवस्था को दर्शाता हुआ एक विस्तृत विवरण जैसा कि विकासवादी कोड की विशिष्ट धाराओं द्वारा अपेक्षित है
अनधिकृत कब्जा	सार्वजनिक परिसर पर किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी अधिकार के किया गया कब्जा तथा वह अधिकार जिसके अंतर्गत उसे अधिवास करने की अनुमति दी गई थी के बीत जाने व किसी भी कारण हेतु अवधारित किये जाने के बाद भी सार्वजनिक परिसर में किसी व्यक्ति द्वारा बने रहना शामिल है।
आँचलिक विकास योजना	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एक अंचल (मंडल) के लिए योजना जिसमें सामाजिक आधारभूत संरचना, पार्क व खुले स्थलों, प्रचलन प्रणाली आदि के प्रावधान से संबंधित विस्तृत सूचना समाविष्ट है।
अंचल	कोई भी मंडल जिसमें दिल्ली को डी डी अधिनियम के अंतर्गत विकासवादी उद्देश्यों के लिए विभाजित किया जा सकता है